

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024 / 132

1. बाबूलाल पुत्र श्रवण
 2. रामकरण पुत्र श्रवण
 3. रमेश पुत्र श्रवण
 4. राजेश पुत्र कैलाश
 5. गुडिया पुत्री कैलाश
 6. राधा पत्नि कैलाश
- जाति मीना निवासी चौकीदारान की ढाणी करबा दौसा जिला दौसा।

— अपीलान्त

बनाम

1. उमराव पुत्र संत्या
 2. कमलेश पुत्र कंचन
 3. काली पुत्री कंचन
 4. टिंकु पुत्र मंगला
 5. निशा पुत्री धर्मसिंह
 6. ममता पुत्री मंगल्या
 7. मूली देवी पत्नि कंचन
 8. मीरा पत्नि धर्मसिंह
 9. रतन पुत्र मंगला
 10. राजूलाल पुत्र मंगला
 11. रामपति पत्नि मंगला
 12. ललिता पुत्री मंगला
 13. लालू पुत्र कंचन
 14. सुमन पुत्री कंचन
 15. सीता पुत्री मंगला
- समस्त जाति मीना निवासी चौकीदारों की ढाणी लालसोट रोड दौसा जिला दौसा।
16. तहसीलदार तहसील दौसा
 17. पुष्पा पुत्री चिरंजीलाल
 18. धनी पुत्री चिरंजीलाल
 19. सिया पुत्री चिरंजीलाल
 20. राहुल पुत्री चिरंजीलाल
- जाति मीना निवासी जस्या की ढाणी बागपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
21. तहसीलदार दौसा तहसील दौसा।

— रेस्पोजेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा दिनांक 06.08.2024 जो प्रकरण संख्या 17/2002 उनवानी कंचन वगैरा बनाम सरकार में पारित किया गया है।

उपस्थित :-

1. श्री हेमराज गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री सतीश पारीक, वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोजेन्ट संख्या 16 व 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।
4. रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से 15, 17 से 20 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

✓ अपील जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1717

1. सुनीता पुत्री चिरंजीलाल
 2. मनीषा पुत्री चिरंजीलाल
 3. पुष्पा पुत्री चिरंजीलाल
- राहुल कुमार पुत्र चिरंजीलाल
समस्त जाति मीना निवासी जेस्या वाली कोठी बागपुरा (छारेडा) तहसील पापडदा जिला दौसा।

आतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. श्रीनारायण पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

— अपीलान्त

बनाम

1. उमराव पुत्र संतया
2. लालू पुत्र कंचन
3. कमलेश पुत्र कंचन
4. काली पुत्री कंचन
5. सुमन पुत्री कंचन
6. मूली पत्नी कंचन
7. मीरा पत्नी धर्मसिंह
8. निशा पुत्री धर्मसिंह
9. टिंकू पुत्री धर्मसिंह
10. रतन पुत्र मंगला
11. राजूलाल पुत्र मंगला
12. ममता पुत्री मंगला
13. सीता पुत्री मंगला
14. ललिता पुत्री मंगला
15. रामपति पत्नि मंगला
समस्त जाति मीना निवासी चौकीदारों की ढाणी सेन्ट मेरी स्कूल के पास लालसोट रोड दौसा।
16. बाबूलाल पुत्र श्रवण
17. रामकृष्ण पुत्र श्रवण
18. रमेश पुत्र श्रवण
19. राधा पत्नि कैलाश
20. राजेश पुत्र कैलाश
21. गुडिया पुत्री कैलाश
समस्त जाति मीना निवासी चौकीदारों की ढाणी सेन्ट मेरी स्कूल के पास लालसोट रोड दौसा।
22. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

— रेस्पोजेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा दिनांक 06.08.2024 जो प्रकरण संख्या 17/2002 उनवानी कंचन वगैरा बनाम सरकार में पारित किया गया है।

उपस्थित :-

1. श्री प्रदीप कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 21 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोजेन्ट संख्या 22 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक :- 07.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष रेस्पोजेन्ट उमराव, कंचन, मंगला पि. सन्तया जाति मीणा निवासी कस्बा दौसा द्वारा कस्बा दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 3011 लगायत 3014 कुल रकबा 2.12 है 0 भूमि के खातेदार बदरी पुत्र पांचू मीणा द्वारा जीवित समय में की गई वसीयत दिनांक 20.12.1984 के आधार पर प्रार्थीगण उमराव, कंचन, मंगला पि. सन्तया के पक्षक में अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु निवेदन किया गया। वसीयतकर्ता खातेदारा बदरी पुत्र पांचू मीणा की दिनांक 22.06.1986 को मृत्यु हो

ऑटोरिक्त संगीत आयुक्त
जयपुर

गई है। जिस पर तहसीलदार दौसा जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 द्वारा प्रार्थीगण उमराव वगै० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक खातेदार बदरी पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी दौसा के नाम ग्राम दौसा कलां के खसरा नम्बर 3011 रकबा 0.44 है०, 3012 रकबा 0.10 है०, 3013 रकबा 0.89 है० व खसरा नम्बर 3014 रकबा 0.78 है० कुल किता-4 रकबा 2.12 है० को वसीयत दिनांक 20.12.1984 अनुसार प्रार्थीगण व उनके वारिसों उमराव पि. सत्या 1/3 लालू पि. कंचन 1/18 कमलेश पि. कंचन 1/18 काली पुत्री कंचन 1/18 सुमन पुत्री कंचन 1/18 मूली देवी पत्नि कंचन 1/18 मीरा पत्नि धर्मसिंह 1/36 निशा पुत्री धर्मसिंह 1/36, टिकू पि. मंगला 1/21 रतन पि. मंगला 1/21 राजूलाल पि. मंगला 1/21 ममता पुत्री मंगला 1/21 सीता पुत्री मंगला 1/21 ललिता पुत्री मंगला 1/21 रामपति पत्नि मंगला 1/21 समस्त जाति मीणा को उपरोक्त हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 पारित किये गये। चूँकि उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

3. तहसीलदार दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्त बाबूलाल पुत्र श्रवण वगै० एवं सुनीता पुत्री चिरंजीलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं तहसीलदार दौसा जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट प्रभावित व्यक्तियों को सुनवायी का अवसर दिये बिना उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त गोग्य है। कानूनन अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नामान्तकरण खोलने का तहसीलदार को कोई अधिकार भी नहीं था ना ही उनके द्वारा कोई ऐसी जाँच की गयी किन्तु फिर भी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोलने का आदेश देने में कानूनी गलती की है। कानूनन जब सक्षम न्यायालय में दावा चल रहा हो और उसी वसीयत के आधार पर खातेदारी की अधिघोषणा का दावा कर रखा हो और न्यायालय में स्थगन हो रहा हो और न्यायालय को स्थगन नहीं बढ़ने को आधार मानकर निर्णय पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है उक्त बट्टी के वारिस अपीलान्ट सिद्ध थे तहसीलदार ने अपीलान्ट को तलबी का आदेश देने के बावजूद भी अपीलान्ट की तलबी नहीं करके और अन्य उज्रदारान द्वारा उज्र करने के बावजूद भी पत्रावली को दफतर दाखिल कर देने के बाद बिना अपीलान्ट व अन्य उज्रदारान को नोटिस दिये बिना मात्र उमराव के प्रार्थना पत्र पत्रावली को चालू करके और बिना कोई सुनवायी किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय को पढ़ते हैं तो उक्त निर्णय में भी स्पष्ट लिखा हुआ है न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं हुआ है और जब न्यायालय में अधिघोषणा के दावे विचाराधीन हो और कई जगह मुकदमे चल रहे हो तो अनरजिस्टर्ड फर्जी वसीयत के आधार पर बिना पक्षकारों को सुने बिना तहसीलदार के कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा इसी भूमि के बाबत रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ला० 15 के विरुद्ध दावा अधिघोषणा एस.डी.ओ. कोर्ट दौसा में पेश कर रखा है जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 16 जरिये अभिभाषक उपस्थित आ चुके हैं। दावा लम्बित होने की जानकारी के बावजूद एवम स्वयं पक्षकार होने के बावजूद तहसीलदार महोदय दौसा द्वारा मिसल पर आये दस्तावेजात सबूत को नजरअंदाज कर वैगपूर्ण निर्णय एकतरफा में जारी फरमाया गया है जो कानूनन किसी कदर चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा दिनांक 30.04.2024 को प्रश्नगत आराजी के बाबत हक अधिकार के तलब होने की गरज से अपीलांट को सुना जाकर के ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने का मय शपथ पत्र ऐतराज पेश किया गया था साथ ही एस.डी.ओ. साहब दौसा के समक्ष लम्बित प्रकरण की नकल जिला कलक्टर दौसा के समक्ष लम्बित प्रकरण की नकल माननीय रेवेन्यु बोर्ड में लम्बित निगरानी एवम अन्य बहुत सारे दस्तावेजात नकल दावा उमराव बनाम सरकार लम्बित लम्बित उपखण्ड अधिकारी कोर्ट दौसा मय

आतिरिक्त संभागीय आयुक्त नयपुर

आदेशिकायें पेश किए गये थे उनको बिलकुल नजरअंदाज कर लम्बित दावे के दौरान ही प्रश्नगत आज्ञा जारी फरमा दी गई जो अपीलांट के हक अधिकारों के मुकाबले हर कदर काबिले खारिज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित निर्णय के अनुसार वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण मात्र सिविल कोर्ट द्वारा ही निर्णित किए जायेंगे। रेवेन्यु कोर्ट को वसीयत के आधार पर किसी के हक में नामान्तरकरण करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण आज्ञा जारी फरमाई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में साक्ष्य बयान दस्तावेजात वसीयतनामा और विभिन्न न्यायालयों की आदेशिकाओं की प्रति का अवलोकन करना बताया है। साथ ही ये कथन किया है कि किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन वर्तमान में प्रभावी नहीं होना बताते हुए यह निर्णय फरमाया गया है। राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में जारी अपील अभी खारिज नहीं हुई है। कानूनन स्थगन आदेश जब तक खारिज नहीं हो जाता तब तक स्थगन बढा हुआ ही माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी कथन किया है कि अप्रार्थीगण उज्रकर्ता का कोई संबंध वास्ता उक्त भूमि के बाबत उपलब्ध दस्तावेजात में दिखाई नहीं देता है। यह सरासर गलत और झूठा कथन है। अपार्थीगण अपीलांट की ओर से संवत् 1984 से अब तक का रेवेन्यु रिकॉर्ड एवम दावेजात अपील स्थगन आदि समस्त रिकॉर्ड फाईल पर पेश कर रखा है तो फिर भी अपीलांट के अधिकारों को प्रथम दृष्ट्या नहीं मानकर विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय जारी फरमाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकर फरमाकर आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 6.08.2024 जो प्रकरण संख्या 17/2002 किस्म प्रकरण 135 (2) लैण्ड रेवन्यू एक्ट अनुवानी कंचन वगैराह बनाम सरकार पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष उमराव वगै के अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया था कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हाल ख.न. 3011 से 3014 कुल रकबा 2.12 है. भूमि ग्राम दौसा कलां में बदरी पुत्र पांचू मीना के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। बदरी पुत्र पांचू मीणा द्वारा अपने जीवित समय में ही दिनांक 20.12.1984 को अपनी वसीयत में अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि को उमराव कंचन, मंगला पि. सन्तया मीना निवासी दौसा के हक में अपने स्वविवेक से 5/- रु के स्टाम्प पर वसीयत कर दी गई। उक्त वसीयत नोटरी पब्लिक से प्रमाणित है। खातेदार बदरी पुत्र पांचू मीणा वसीयत कर्ता की मृत्यु दिनांक 22.06.1986 को हो चुकी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा भी स्थगन आदेश को आगे नहीं बढ़ाया है। वसीयत के संबंध में संबंधित प्रकरण नं. 17/2002 से लम्बित पत्रावली है जिसमें सभी दस्तावेज व गवाह पेश कर दिये गये हैं। जिसमें प्रश्नगत भूमि ख.नं. 3011, 3012, 3013, 3014 वाके दौसा कलां में किसी भी न्यायालय का वर्तमान में स्थगन आदेश प्रचलित नहीं है। उनवानी प्रकरण उमराव बनाम सरकार मु.नं. 17/2002 का निस्तारण कर नामान्तरकरण खोला जावे। प्रार्थीगण कंचन पुत्र सन्तया मीना, मंगला पुत्र सन्तया मीना, उमराव पुत्र सन्तया मीना, राधेश्याम तिवाडी पुत्र मोतीलाल तिवाडी नि. कस्बा दौसा आदि के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। जिनमें प्रार्थीगण के पक्ष में मृतक खातेदार बदरी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 20.12.1984 के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के शपथ पत्र पेश किये गये हैं। वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर तहसीलदार दौसा जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 द्वारा प्रार्थीगण उमराव वगै0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक खातेदार बदरी पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी दौसा के नाम ग्राम दौसा कलां के खसरा नम्बर 3011 रकबा 0.44 है0, 3012 रकबा 0.10 है0, 3013 रकबा 0.89 है0 व खसरा नम्बर 3014 रकबा 0.78 है0 कुल किता-4 रकबा 2.12 है0 को वसीयत दिनांक 20.12.1984 अनुसार प्रार्थीगण व उनके वारिसों उमराव पि. सत्या 1/3 लालू पि. कंचन 1/18 कमलेश पि. कंचन 1/18 काली पुत्री कंचन 1/18 सुमन पुत्री कंचन 1/18 मूली देवी पत्नि कंचन 1/18 मीरा पत्नि धर्मसिंह 1/36 निशा पुत्री धर्मसिंह 1/36, टिंकू पि. मंगला 1/21 रतन पि. मंगला 1/21 राजूलाल पि. मंगला 1/21 ममता पुत्री मंगला 1/21 सीता पुत्री मंगला 1/21 ललिता पुत्री मंगला.1/21 रामपति

आतेरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्नि मंगला 1/21 समस्त जाति मीणा को उपरोक्त हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 पारित किये गये हैं, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद मृतक बंदी पुत्र पांचू जाति मीना निवासी बागपुरा हाल निवासी कस्बा दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 3011 लगायत 3014 कुल रकबा 2.12 है० भूमि की विरासत को लेकर है। न्यायालय हाजा में अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/132 उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम उमराव व अन्य में अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 27.03.2024 को न्यायालय तहसीलदार दौसा में आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया था कि उक्त विवादित भूमि वसीयतकर्ता बंदी पुत्र पांचू पैतृक भूमि कभी नहीं रहीं है। उक्त आराजी की वसीयत करने का अधिकार बंदी पुत्र पांचू को कभी नहीं रहे है। उक्त आराजी बंदी पुत्र पांचू से पूर्व यही आराजी सम्वत 1984 बंदोबस्त के समय मांग्या पुत्र जवाहर मीना का हिस्सा 1/3 पन्ना पुत्र भोरा हिस्सा 1/3 एवं श्योनाथ पुत्र बलदेवा मीना हिस्सा 1/3 की सहखातेदारी पैतृक भूमि रही है। बंदी पुत्र पांचू की कभी भी पैतृक एवं स्वकर्ता भूमि नहीं रही है, ना ही वह शिकमी जोता रहा है। खातेदारी अन्तरण राजस्व अधिकारियों से मिलकर करवाया गया है। विवादित भूमि आपत्तिकर्ता के पिता दादा की रही है। उमराव वगै० तीनों भाई एक तरफा तो अपने तीनों के नाम वसीयत होना बताते है दूसरी ओर उसके भाई कंचन के गोद जाना बताते है। वर्ष 2023 में उज्जदारान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) जा.दी. का न्यायालय एस.डी.ओ. दौसा के समक्ष पेश किया। जिसे एस.डी.ओ. दौसा द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गयी है तथा बाबूलाल वगैरा बनाम उमराव वगैरा० के नाम से उद्घोषणा खातेदारी का दावा पेश कर रखा है के आधार पर अधिकार चाहा गया है।

न्यायालय हाजा में दूसरी अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/128 उनवानी सुनीता व अन्य बनाम उमराव व अन्य में अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके पिता चिरंजी लाल पुत्र स्योदान ने न्यायालय तहसीलदार दौसा में दिनांक 05.10.2005 एवं दिनांक 10.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि वह विवादित भूमि के खातेदार बंदी पुत्र पांचू मीना का वारिस है। प्रार्थी के दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। जिसका एक मात्र वारिस चिरंजीलाल मीना ही है। नामान्तकरण प्रार्थी के नाम खोला जावे के आधार पर अधिकार चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार दौसा ने आदेशिका दिनांक 01.05.2024 में यह अंकित किया गया है कि " अधिवक्ता हेमराज गुर्जर ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु० जयपुर के स्थगन आदेश किस्म अन्तर्गत धारा 225 मुकदमा नं. 32/24 द्वारा स्थगन जारी किया गया है। जिसमें दौसा कलां ख.नं. 3011 रकबा 0.44 है०, ख.नं. 3012 रकबा 0.10 है०, ख.नं. 3013 रकबा 0.89 है०, ख.नं. 3014 रकबा 0.40 है० कुल रकबा 2.12 है० राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण (उच्चतर न्यायालय R.A.A.) में विचाराधीन होने के कारण पत्रावली स्थगित की जाती है। प्रकरण के निस्तारण पश्चात पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुनः सुनवाई की जा सकेगी। इसके पश्चात तहसीलदार दौसा ने आदेशिका दिनांक 31.07.2024 में यह अंकित किया गया है कि श्री उमराव के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली पेश हुई। उमराव द्वारा माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा की दावा संख्या 32/24 दिनांक 18.06.2024 को न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2024 से दिनांक 28.05.2024 तक के लिए अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया है एवं उसको आगे नहीं बढ़ाते हुए की, प्रमाणित प्रति पेश की गई है उसके साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06.08.2024 को पेश हो। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने आदेशिका दिनांक 06.08.2024 में यह अंकित किया गया कि पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा अपने पारित निर्णय दिनांक 06.08.2024 में यह अंकित किया गया है कि उभयपक्ष को सुना गया जबकि आदेशिकाओं से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 01.5.2024 में यह अंकित किया गया था कि प्रकरण के निस्तारण पश्चात पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुनः सुनवाई की जा सकेगी। इसके पश्चात दिनांक 31.07.2024 को रेस्पोंडेन्ट उमराव वगैरे द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई और दिनांक 06.08.2024 को निर्णय कर दिया गया, जिसमें अपीलान्ट्स जो प्रकरण में उज्रदार पक्षकार थे, अपीलान्ट व अन्य आपत्तिकर्ता को नोटिस जारी किये बिना व सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलान्धीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 पारित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं, जिसके कारण अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने ही अपीलान्धीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को भी सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का अपीलान्धीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का अपीलान्धीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)

अति० संभागीय आयुक्त
आतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
आतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर